133

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1167–तीन/2005 विरूद्ध आदेश दिनॉक 28–4–2005 –पारित व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 599/2002–03 निगरानी

गोविन्द दास पुत्र भुजुआ चमार
ग्राम खजवा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव )
(अनावेदक के अभिभाषक श्री राजीव गौतम)

आ दे श
(आज दिनांक 16–1 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 599/2002–03 अ–19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–4–2005 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक को भूमि सर्वे क्रमांक 731/861/2 रकबा 2.000 हैक्टर स्थित मौजा पथरया का पटटा

दिया गया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने प्रकरण क्रमांक 6 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 14-3-2002 से निरस्त कर दिया, क्योंकि उक्तांकित भूमि बन विभाग की थी। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 6 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 14-3-2002 के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष अपील क्रमांक 60/2002-03 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 60 अ-19/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-2003 से अपील निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14-3-2002 को स्थिर रखा। अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 31-3-2003 के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी क्रमांक 599/2002-03 अ-19 प्रस्तुत हुई जिसे अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 28-4-2005 से निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक को मात्र 2.00 हैक्टर भूमि पटटे पर प्रदान की गई थी और इसी भूमि पर आवेदक पटटा प्राप्ति के लगभग 20-25 वर्षो से काविज होकर खेती करते आ रहा था। आवेदक को भूमिहीन होने से एंव पात्र पाया जाकर भूमि का बन्टन किया गया था । आवेदक को पटटे पर दी गई भूमि बन भूमि नहीं थी यदि बन भूमि होती, आवेदक को पटटा नहीं दिया जाता। उन्होंने अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर पटटा बहाल करने की मांग की। शासन के पेनल लायर ने बताया कि

भूमि सर्वे कमांक 731/861/2 रकबा 2.000 हैक्टर स्थित मौजा पथरया बन भूमि है जिसका पटटा नहीं दिया जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी ने पूरी तरह से छानवीन करके पटटा निरस्त किया है इसलिये निगरानी निरस्त की जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से निर्विवाद है कि मौजा पथरया स्थित भूमि सर्वे कमांक 731/861/2 बन विभाग की गोदावमर्न योजना हेतु रक्षित भूमि है और बन भूमि के पटटे तहसीलदार व्दारा देना नियम विरूद्व है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने प्रकरण कमांक 6 अ-19/ 2001-02 में पारित आदेश दिनांक 14-3-2002 से आवेदक को दिया गया पटटा निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर छतरपुर ने एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से उनके व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 599/2002-03 अ-19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-4-2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर